न्यायालय, सत्र न्यायाधीश, रामपुर।

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–468/2026

CNR No.UPRP010034872026

(पंजीयन सं० 806/2026)

श्रीमती गुलफशा पुत्री मौ०इस्लाम पत्नी नावेद, निवासिनी मौ०आजादनगर कस्बा व थाना टाण्डा, जिला रामपुर, उ०प्र०।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

धारा–103(1)बी०एन०एस०
थाना–टाण्डा, जिला रामपुर
अ०सं० 44/2026

आदेश

अभियुक्ता/प्रार्थिनी श्रीमती गुलफशा की ओर से यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र शपथकर्ता श्रीमती आमना बी ने इन अभिकथनों के साथ प्रस्तुत किया है कि अभियुक्ता/प्रार्थिनी का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। इसके अतिरिक्त कोई अन्य जमानत प्रार्थना पत्र किसी अन्य न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में न तो योजित किया है और न ही लम्बित है।

प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र अभियुक्ता/प्रार्थिनी की ओर से इन अभिकथनों के साथ प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थिनी को उपरोक्त वाद में अभियुक्त बनाया गया है। अभियुक्ता/प्रार्थिनी दिनांक 08–02 से जिला कारागार, रामपुर में निरूद्ध है। अभियुक्ता प्रार्थिनी को उपरोक्त वाद में मकसद नाजायज से झूठा फंसाया है। अभियुक्ता/प्रार्थिनी ने कोई अपराध नहीं किया है। अभियुक्ता/प्रार्थिनी पर लगाये समस्त आरोप निराधार व फर्जी है। अभियुक्ता/प्रार्थिनी ने किसी की हत्या नहीं की है। अभियुक्ता/प्रार्थिनी को उपरोक्त वाद में अकारण पुलिस ने वादी पक्ष से साज–बाज कर हत्या के वास्तविक दोषी को बचाने के उद्देश्य से फर्जी साक्ष्य गढ़ कर फंसाया है। अभियुक्ता/प्रार्थिनी नितान्त निर्दोष है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में हत्या करने का कोई महत्वपूर्ण कारण दर्शित नहीं किया गया है। अभियुक्ता/प्रार्थिनी का उपरोक्त वाद की किसी भी घटना से कोई सम्बन्ध नहीं है। उपरोक्त वाद में किसी भी घटना को कारित करन का अभियुक्ता/प्रार्थिनी का कोई उद्देश्य किसी स्तर पर सिद्व नहीं है। अभियुक्ता/प्रार्थिनी का उपरोक्त वाद की मृतका, वादी मुकदमा व उसके परिवार से न तो कोई सम्बन्ध रहा है और न ही कोई शत्रुता रही है। वादी मुकदमा द्वारा स्व–हस्ताक्षरित दो प्रार्थनापत्र थाना प्रभारी थाना टाण्डा को सम्बोधित थाना पर दिये थे। एक प्रार्थना पत्र में बताया गया कि वादी मुकदमा की माता की हत्या अभियुक्ता/प्रार्थिनी ने की है, जबकि एक अन्य प्रार्थना पत्र में बताया कि समय लगभग 2.30 बजे को अचानक सूचना मिली कि वादी मुकदमा की माता श्रीमती रफतजहाँ उम्र 65 वर्षीय अचेत अवस्था में पड़ी है, तुरन्त घर गया, तब देखा की उसकी माता की मृत्यु हो गयी है। प्रथम सूचना रिपोर्ट अत्यधिक विलम्ब से पंजीकृत करायी है और विलम्ब का कोई कारण स्पष्ट नहीं किया है। उपरोक्त वाद में

Digitally signed by BHANU DEO SHARMA
Date: 2026.06.04 16:44:01 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

कोई स्वतन्त्र साक्षी नहीं है ,जो भी साक्षीगण है,वादी मुकदमा के परिजन व निकट सम्बन्धी है,जिनसे स्वतन्त्र साक्ष्य की आशा नहीं की जा सकती। अभियुक्ता/प्रार्थिनी के विरूद्व कोई पूर्व दोषसिद्वि नहीं है और न ही आपराधिक इतिहास है। अतः अभियुक्ता/प्रार्थिनी को जमानत पर रिहा किया जाए।

अभियुक्ता/प्रार्थिनी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि वह निर्दोष है।उ से रंजिशन झूठा फंसाया है। अभियुक्ता/प्रार्थिनी ने अभियोजित अपराध नहीं किया है। उनका तर्क है कि वादी मुकदमा ने पुलिस से साज कर अभियुक्ता /प्रार्थिनी को इस अभियोग में अभियोजित कर दिया है। उनका तर्क है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में घटना के हेतु के तथ्य का कोई उल्लेख नहीं है। अभियुक्ता /प्रार्थिनी का मृतका एवं उसके परिजनों से कोई सम्बन्ध नहीं रहा है और न ही उसके परिवार से कोई शत्रुता रही है। घटना का कोई स्वतन्त्र साक्षी नहीं है। सभी साक्षीगण वादी मुकदमा के निकट सम्बन्धी और परिजन है। अभियुक्ता/प्रार्थिनी कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अतः अभियुक्ता/प्रार्थिनी को जमानत पर रिहा किया जाए।

विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता(दाण्डिक) ने उपरोक्त तर्को का विरोध किया और यह तर्क प्रस्तुत किया कि अभियुक्ता/प्रार्थिनी की घटना में संलिप्तता का साक्ष्य विवेचना में संकलित हुआ है। उनका तर्क है कि मृतका के घर के सामने अभियुक्ता / प्रार्थिनी की बहन का घर स्थित है,जहाँ पर अभियुक्ता/प्रार्थिनी उपस्थित थी। उनका तर्क है कि मृतका के साथ अभियुक्ता /प्रार्थिनी को अन्तिम बार देखा गया था और अभियुक्ता/प्रार्थिनी को मृतका के पास अन्तिम बार देखने के तत्काल पश्चात् मृतका मृत अवस्था में पाई गयी थी। उनका तर्क है कि पोस्टमार्टम में मृतका के गर्दन,चेहरे व नाक आदि स्थानों पर मृत्यु पूर्व चोटें पायी गयी थी और मृतका की मृत्यु का कारण गला दबाने से उत्पन्न श्वसरोदन पाया गया है। उनका तर्क है कि अभियुक्ता /प्रार्थिनी को मृतका के शव के पास अन्तिम बार देखे जाने का साक्ष्य दौरान विवेचना संकलित हुआ है और इस तथ्य का भी साक्ष्य संकलित हुआ है कि मृतका के जीवित अवस्था में अभियुक्ता/प्रार्थिनी को मृतका के पास अन्तिम बार देखा गया था। उनका तर्क है कि दौरान विवेचना इस तथ्य का साक्ष्य एकत्रित हुआ है कि घटनास्थल पर अभियुक्ता प्रार्थिनी के चेहरे पर चोट के निशान साक्षी द्वारा देखे गये थे।

उभयपक्षों के तर्को को सुना एवं अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया।

संक्षेप में अभियोजन कथानक वादी मुकदमा मु०हारिस पुत्र हाजी मु०रफी की ओर से दिनांक 08–02–2026 को इस आशय से पंजीकृत करायी गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट पर प्रारम्भ हुआ कि वादी मुकदमा मौहल्ला नज़्नुपुरा ,थाना टाण्डा,रामपुर का निवासी है। दिनांक 07–02–2026 को वादी मुकदमा रोजाना की तरह अपने घर से करीब 12.30 बजे अपने कपड़े की दुकान निकट मस्जिद ठेकेदार वाली गली पर आया। जब वादी मुकदमा अपने घर से दुकान पर आया,तो उस समय उसकी माता के पास गुलफशा पत्नी नावेद,निवासी मौहल्ला आजादनगर,कस्बा व थाना टाण्डा,जनपद रामपुर बैठी थी। समय करीब 14.30 बजे वादी मुकदमा को जानकारी हुई कि उसकी माता घर में अचेत अवस्था में पड़ी है। इस सूचना पर वादी मुकदमा जब अपने घर पर पहुँचा,तो उसकी माता बैड पर पड़ी थी। वादी मुकदमा ने अपनी माता को आवाज

लगाई और बोलने की कोशिश की, तो कोई उत्तर नहीं मिला। वादी मुकदमा ने अपनी माता को छूकर देखा, तो उसकी मृत्यु हो चुकी थी। वादी मुकदमा ने मौहल्ले में काफी जानकारी की, तो पता लगा कि उसकी माता रफत जहाँ की गुलफशा पत्नी नावेद, निवासी मौहल्ला आजादनगर, कस्बा व थाना टाण्डा, जनपद रामपुर ने ही गला दबाकर हत्या कर दी है।

अभियुक्ता/प्रार्थिनी को मृतका के साथ अन्तिम बार देखे जाने का साक्ष्य दौरान विवेचना संकलित हुआ है। मृतका के जीवित दशा में मृतका के पास अन्तिम बार अभियुक्ता/प्रार्थिनी की उपस्थिति का साक्ष्य दौरान विवेचना प्रकट हुआ है। अभियुक्ता/प्रार्थिनी की घटना में संलिप्तता का प्रबल परिस्थितिजन्य साक्ष्य दौरान विवेचना संकलित हुआ है। मृतका के मृत्यु पूर्व 7 चोटें आना और मृत्यु का कारण गला दबाने से उत्पन्न श्वसरोदन होना पोस्टमार्टम में दर्शाया गया है। अभियुक्ता/प्रार्थिनी के चिकित्सीय परीक्षण में भी अभियुक्ता/प्रार्थिनी के चेहरे पर 3 खुरसट के घाव लालिमा लिए हुए दर्शाये गये है। दौरान विवेचना अभियुक्ता/प्रार्थिनी को घटनास्थल पर ही चेहरे पर ताजा चोट के साथ देखे जाने का साक्ष्य संकलित हुआ है। मामले में उपरान्त विवेचना आरोपपत्र प्रेषित किया जा चुका है।

अतः मामले के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं सुरक्षित विचारण को दृष्टिगत रखते हुए, इस स्तर पर अभियुक्ता/प्रार्थिनी को जमानत प्रदत्त किए जाने का कोई पर्याप्त व न्यायोचित आधार प्रकट नहीं होता है।

तद्नुसार जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है।

अभियुक्ता/प्रार्थिनी का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांक 04–06–2026

(भानु देव शर्मा)
सत्र न्यायाधीश,
रामपुर।
J.O.Code–UP 6545